

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़)

— संशोधित आदेश :-

क्रमांक / 266 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

रायपुर, दिनांक 20/08/2020

इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 613 दिनांक 24.06.2020 में आंशिक संशोधन करते हुये छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 253 दिनांक 17.05.2020 सहपठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 17.05.2020 के माध्यम से कोरोना वायरस (Covid-19) की रोकथाम हेतु दिनांक 31.05.2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है तथा लॉकडाउन के संबंध में विस्तृत गाईडलाईन जारी की गई है। जिसके अनुक्रम में राज्य शासन एवं इस कार्यालय द्वारा जारी आदेशों की प्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्त निर्देशानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने तथा आम जनता तक आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 156 दिनांक 25.03.2020 में आंशिक संशोधन करते हुये कॉलम (2) में दर्शित क्षेत्र हेतु कॉलम (4) में दर्शित अधिकारी को Incident Commander नियुक्त किया जाता है:-

क्र.	Incident Commander को आवंटित कार्यक्षेत्र (2)	Incident Commander का नाम एवं पदनाम (3)
1.	जोन क्रमांक 01 नगर पालिक निगम रायपुर	श्रीमती पूनम शर्मा, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी (नगर), रायपुर 9424234044
2.	जोन क्रमांक 02 नगर पालिक निगम रायपुर	श्री मुकेश कुमार कोठारी, डिप्टी कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी, रायपुर 9993483432
3.	जोन क्रमांक 03 नगर पालिक निगम रायपुर	श्री राकेश देवांगन, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, रायपुर (9770768700)
4.	जोन क्रमांक 04 नगर पालिक निगम रायपुर	श्री राजीव कुमार पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी (नगर), रायपुर 9425649105
5.	जोन क्रमांक 05 नगर पालिक निगम रायपुर	श्री संदीप कुमार अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी (नगर), रायपुर 9424238392
6.	जोन क्रमांक 06 नगर पालिक निगम, रायपुर	श्री कृष्ण कुमार साहू, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, रायपुर (7987474811)
7.	जोन क्रमांक 07 नगर पालिक निगम रायपुर	श्री टी.आर.माहेश्वरी, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी (नगर), रायपुर 9165506006
8.	जोन क्रमांक 08 नगर पालिक निगम रायपुर	श्री यू.एस.अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी (नगर), रायपुर 9329020527
9.	जोन क्रमांक 09 नगर पालिक निगम रायपुर	श्री अश्वनी कवर, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, रायपुर (7987474811)
10.	जोन क्रमांक 10 नगर पालिक निगम रायपुर	श्री अमित बेक, तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, रायपुर (7771886627)
11.	नगर पालिक निगम, रायपुर के क्षेत्र को छोड़कर शेष रायपुर अनुभाग	श्री प्रणव सिंह, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायपुर 9425202181
12.	सम्पूर्ण आरंग अनुभाग	श्री विनायक शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी आरंग 9406388880
13.	सम्पूर्ण अभनपुर अनुभाग	श्री सूरज कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी अभनपुर 9893904594

उपरोक्त Incident Commander उन्हे आवंटित कार्यक्षेत्र अंतर्गत कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार की रोकथाम तथा इस कार्यालय / राज्य शासन / भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित कराते हुये धारा 144 के अधीन प्रतिबंधों से मुक्त, सभी अति-आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता आम जनता तक सुनिश्चित करने हेतु कार्य करें। उपरोक्त क्षेत्र अन्तर्गत समस्त लाईन विभागों के अधिकारी, संबंधित Incident Commander के निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

तहसील रायपुर अंतर्गत नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क 06 से 10 को छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र अन्तर्गत नियुक्त इंसिडेन्ट कमांडर के पर्याप्तता हेतु श्री विनीत नंदनवार, अतिरिक्त जिला

दण्डाधिकारी, रायपुर 7587724910, नगर पालिक निगम रायपुर के जोन कमांक 06 से 10 एवं आरंग तहसील अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र अन्तर्गत नियुक्त इंसिडेन्ट कमांडर के पर्यवेक्षण हेतु श्रीमती पदमिनी भोई साहू अपर कलेक्टर, रायपुर 9479102304 तथा तहसील तिल्दा एवं अभनपुर अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र अन्तर्गत नियुक्त इंसिडेन्ट कमांडर के पर्यवेक्षण हेतु श्री एन. आर. राहू अपर कलेक्टर, रायपुर 9827171271 को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

उपरोक्त Incident Commander नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण करेंगे। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक 367 दिनांक 30.07.2020 सहपठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आदेश कमांक 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 29.07.2020, इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश कमांक 99 दिनांक 06.08.2020 तथा राज्य शासन एवं इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त Incident Commander किसी भी माध्यम से प्राप्त शिकायत, फीडबैक इत्यादि पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा नियमित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करेंगे।

जिला स्तर नोडल अधिकारी उन्हे सौंपे गये क्षेत्र अंतर्गत Incident Commander के कार्य का समुचित पर्यवेक्षण तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

SKRw
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

रायपुर, दिनांक 20/08 /2020

पृ.कमांक/266A/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर क्षेत्र, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अपर कलेक्टर, समस्त, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. Incident Commander समस्त, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. सर्व कार्यालय प्रमुख जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. तहसीलदार/नायब तहसीलदार समस्त जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपंद पंचायत, समस्त जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. जोन कमिशनर, नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत समस्त जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
19. सर्व संबंधित अधिकारीको सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

SKRw
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर